रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

सत्यमेव जयते

एस.जी.-डी.एल.-अ.-11112025-267572
SG-DL-E-11112025-267572

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 346] दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 11, 2025/कार्तिक 20, 1947 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 325
No. 346] DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 11, 2025/KARTIKA 20, 1947 [N. C. T. D. No. 325

## भाग IV
## PART IV

## राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
## GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

### पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव विभाग

### अधिसूचना

दिल्ली, 11 नवम्बर, 2025

**फा.सं. डीपीसीसी/ईआईए/विविध/09–खंड–V/6077-95.—**1. जबकि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार की दिनांक 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना संख्या एसओ 1533 (ई) के अनुसरण में, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 09 अक्टूबर, 2025 की अधिसूचना संख्या एसओ 4620(ई) के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (तत्पश्चात् प्राधिकरण के रूप में संदर्भित) के लिए केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण का गठन किया है तथा उक्त प्राधिकरण की सहायता के लिए, केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के परामर्श से केंद्र शासित प्रदेश, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (तत्पश्चात् समिति के रूप में संदर्भित) के लिए केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति का भी गठन किया है;

2. और जबकि दिनांक 9 अक्टूबर, 2025 की उक्त संदर्भित अधिसूचना के अनुसरण में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को प्राधिकरण तथा समिति के प्रभावी कामकाज हेतु सचिवालय के कार्यों की देखभाल के लिए एक एजेंसी को अधिसूचित करना है और

3. अब इसलिए, दिनांक 09 अक्टूबर, 2025 की उक्त अधिसूचना संख्या एसओ 4620(ई) के अनुच्छेद 11 तथा 12 के अनुसरण में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, एतद्द्वारा, तीसरी मंजिल, ब्लॉक–1, डीएमआरसी आईटी पार्क, शास्त्री पार्क, दिल्ली–110053 में स्थित दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) को सचिवालय के रूप में कार्य करने वाली एजेंसी के

रूप में अधिसूचित करती है, जो प्राधिकरण तथा समिति के समस्त वैधानिक कार्यों के संबंध में आवास, परिवहन और ऐसी अन्य सुविधाओं सहित समस्त वित्तीय तथा रसद सहायता प्रदान करेगी।

4. दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) प्राधिकरण तथा समिति के अध्यक्षों एवं सदस्यों को बैठक शुल्क, यात्रा भत्ता और महंगाई भत्ते के भुगतान की व्यवस्था करेगी। इस प्रयोजनार्थ, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति शीघ्र ही एक अलग आदेश जारी करेगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल

के आदेश से तथा उनके नाम पर,

विजय कुमार बिधूड़ी, सचिव

**DEPARTMENT OF ENVIRONMENT, FORESTS AND WILDLIFE**

**NOTIFICATION**

Delhi, the 11th November, 2025

**F. No. DPCC/EIA/MISC/09-VOI- V/6077-95.—**1. WHEREAS in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of the section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, (29 of 1986) and in pursuance of the Government of India, Notification number S.O. 1533 (E) dated 14 September, 2006, the Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Government of India has constituted Union territory Level Environment Impact Assessment Authority for the Union territory , National Capital territory of Delhi, (herein after referred to as the authority) vide Notification number S.O 4620(E) dated 09 October, 2025 and to assist the said authority, the Central Government, in consultation with the Union Territory, National Capital Territory of Delhi has constituted the Union territory Level Expert Appraisal Committeefor the Union territory , National Capital Territory of Delhi(herein after referred to as the committee) as well;

2. AND WHEREAS in pursuance of the above referred Notification dated 9 October, 2025, the Government of National Capital Territory of Delhi is to notify an Agency to look after the Secretariat functions for the effective functioning of the Authorityand the Committee and

3. NOW, THEREFORE, in pursuance of paras 11 and 12 of the said Notification NoS.O 4620(E) dated 09 October 2025, the Government of National Capital Territory of Delhi hereby notifies the Delhi Pollution Control Committee (DPCC), situated at 3rd Floor, Block-1, DMRC IT Park, Shastri Park, Delhi-110053, as the Agency to act as Secretariat which shall provide all financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of all statutory functions of the Authority and the Committee.

4. The Delhi Pollution Control Committee (DPCC) shall arrange to pay sitting fee, traveling allowance and dearness allowance to the Chairmen and Members of the Authority and the Committee. For this purpose, Delhi Pollution Control Committee will issue a separate order expeditiously.

By Order and in the Name of the Lieutnant

Governor of National Capital Territory of Delhi,

VIJAY KUMAR BIDHURI, Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA